[2020] 2 एस. सी. आर. 798

संतोष प्रसाद @संतोष कुमार

बनाम्

बिहार राज्य

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 264)

14 फरवरी, 2020

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह, न्यायाधीशगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860:धारा376 (1), 450-बलात्कार-अभियोजन मामला यह था कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने पी़डिता जो उसके भाई की पत्नी थी, के साथ बलात्कार किया था- निचली अदालतों द्वारा पुरी तरह से पी़डिता की गवाही के आधार पर दोषसिद्धी के विरुद्ध अपील-प्रस्तुत-यह निर्विवाद है कि केवल पी़डिता के साक्ष्य के आधार पर भी किसी को दोषी सिद्ध किया जा सकता है, परंतु बयान विश्वसनीय एवं भरोसेमंद होन चाहिए। वर्तमान मामले में न केवल पी़डिता के गवाही में तथ्यगत बिरोधमाय है, बल्कि पी़डिता के कथनानुसार जिस तरह से कथित घटना घटित हुई वह भी विश्वसनीय नही है न किसी स्वतंत्र साक्षी ने और न ही चिकित्सकीय साक्ष्यों से पी़डिता के कथनों की पुष्टि होती है। चिकित्सीय रिपोर्टों के अनुसार, पी़डिता के शरीर पर न तो किसी प्रकार की मारपीट अथवा हिंसा के निशान न ही कोई चिकित्सीय प्रमाण बलात्कार की पुष्टि करते है। यह भी अभिलेख में आया है कि पूर्व से दोनों पक्षों के मध्य भूमि का विवाद एवं शत्रुता थी। साथ ही, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, सिर्फ पी़डिता के बयान को शाश्वत सत्य मानकर और सहायक साक्ष्यों की गैरमौजुदगी में अपीलार्थी की दोषसिद्धी एवं सजा वैद्यानिक रुप से चलने योग्य नहीं है आरोपी संशय के लाभ का अधिकारी है।.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः- 1. निम्न न्यायालयों द्वारा पारित विवादित निर्णयों एवं आदेशों से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को पूरी तरह पी़डिता (अभियोजन साक्ष्य सं.5) के मौखिक बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया है। न किसी स्वतंत्र साक्षी ने और न ही चिकित्सकीय प्रमाणों ने भी अभियोजन के आरोपो का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी सं.01 के शपथपूर्ण बयान से यह अभिलेख में आया है कि दोनो पक्षों के बीच भूमि-विवाद चल रहा था। यहाँ तक कि अभियोजन साक्षी सं.05 के प्रति-परीक्षण में पी़डिता ने यह स्वीकार किया कि उनकी आरोपी के साथ दुश्मनी थी। अभियोजन साक्षी सं.- 07 चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने शपथपूर्ण बयान में विशेष तौर यह मंतव्य दिया है कि उन्होने पीडिता के शरीर पर किसी तरह का जख्म नही पाया। उन्होने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बलात्कार का कोई भी शारीरिक अथवा चिकित्सकीय प्रमाण नहीं पाया गया। विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के मुताबिक पेटीकोट पर पाए गए रक्त्त-समूह एवं वीर्य की जाँच अनिर्णीत है। अतः ऐसी परिस्थिति में अभिलेख पर उपस्थित एकमात्र साक्ष्य पीडिता का शपथपूर्वक बयान है। यह निर्विवाद तथ्य है कि सिर्फ पी़डिता के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है। परंतु साक्ष्य भरोसेमंद एवं योग्य होना चाहिए। [पैरा 5.2,5.3] [806-ई-जी; 807 ए-बी]

2. पी़डिता के शपथपूर्ण बयान के तथ्यों में विरोधाभास था। न केवल तथ्यों में विरोधाभास था, अपितु पी़डिता के अनुसार जिस तरीके से यह कथित घटना घटित हुई वह भी विश्वास से परे है। पीडिता ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि टूटी हुई चहारदिवारी फांदकर आरोपी अंदर आया और इसके पश्चात उसने बलात्कार किया। उन्होने बताया कि उन्होने आरोपी की पहचान मोबाईल की रोशनी से की। परंतु कोई मोबाईल बरामद नहीं हुआ। यहाँ तक कि यह भी अभिलेख पर नहीं है कि कोई टूटी हुई चहारदिवारी थी। उन्होने आगे बताया कि सुबह दस बजे वो थना गई और मौखिक शिकायत की। हांलाकि, अनुसंधान पदाधिकारी के अनुसार लिखित शिकायत की गई थी। यह भी उल्लेख करने आवश्यक है कि प्राथमिकी संध्या 04 बजे दर्ज की गई थी। अपने शपथपूर्ण बयान में पी़डिता ने एक साक्षी का नाम बताया है लेकिन उसने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। इसलिए जब हमने अभियोजन साक्षी-5/पीडिता के बयान की जाँच की तो वह सच्चे गवाह की किसी भी जाँच में सफल नहीं हुई। उसके द्वारा दी गई लिखित शिकायत और गवाही में विचरण है। प्राथमिकि दर्ज होने में भी देरी हुई है । जिस तरीके से घटना का घटित होना बताया जा रहा है वह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में एकमात्र पी़डिता के बयान को शाश्वत सत्य

मानकर एवं बगैर अन्य सहायक साक्ष्यों के आरोपी को दोषी मानकर दी गई सजा चलने योग्य नही है तथा आरोपी को संदेह का लाभ जरुर मिलना चाहिए। [पैरा 6] [809-एफ-एच; 810 ए-डी]

राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एससीसी 133: [2008] 16 एससीआर 1078; राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2012) 8 एस. सी. सी. 21:[2012] 6 एस. सी. आर. 1153; मुकेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2014) 10 एस. सी. सी. 327-संदर्भित

रवींद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2015) 4 एस. सी. सी. 491:[2015] 2 एससीआर 860; रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य (1998) 8 एससीसी 635; पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य (1996) 2 एससीसी 384:[1996] 1 एससीआर 532; बी. सी. देव बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 12 एस. सी. सी 122:[2007] 8 एससीआर 509; कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य (2011) 7 एससीसी 130:[2011] 8 एस. सी. आर. 774-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2008] 16 एस. सी. आर. 1078	संदर्भित	कंडिका 3.11
[2012] 6 एससीआर 1153	संदर्भित	कंडिका 3.11
(2014) 10 एस. सी. सी. 327	संदर्भित	कंडिका 3.12
[2015] 2 एससीआर 860	संदर्भित	कंडिका 3.12
(1998) 8 एससीसी 635	संदर्भित	कंडिका 4.1
[1996] 1 एससीआर 532	संदर्भित	कंडिका 4.1
[2007] 8 एससीआर 509	संदर्भित	कंडिका 4.6
[2011] 8 एससीआर 774	संदर्भित	कंडिका 5.4.3

निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 209/2015 में 07.02.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसमें उच्च न्यायालय ने कथित अपील को खारिज कर दिया है और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 376 (1) और 450 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, मूल आरोपी ने वर्तमान अपील दायर किया है।

2. अपीलकर्ता-मूल आरोपी का भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 376 (1) और 450 के तहत् दंडनीय अपराधों के लिए विद्वत सत्र अदालत द्वारा यहाँ विचारण अन्य बातों के साथ-साथ, अभियेक्त्री-पी. डब्ल्यू. 5 द्वारा 16.09.2011 को स्थानीय थाना के समक्ष लिखित शिकायत इन आरोपों को लगाते हुए दाखिल किया कि गत रात्रि के 11 बजे कुछ आवाज सुनने के बाद वह जग गयी और जिसके बाद मोबाइल फोन की रोशनी में उसने आरोपी-पति के भाई को पाया, जिसके बाद उसने पूछताछ की। कोई जवाब देने के बजाय, उसने उसके साथ बलात्कार किया । अभियोजन पक्ष और अभियोक्त्री के अनुसार उसके बाद आरोपी भाग गया और अवसर पाकर उसने शोर मचाया और पडोसी वहाँ आये जिनमें एक सुमन देवी, उसकी गोतनी और उसकी चचरेी बहन की सास, शांति देवी शामिल थी। उसने उन्हें घटना/वारदात के बारे में बताया। अभियोक्त्री के अनुसार अभियोक्त्री के अनुसार, उसने अपनी सास और ससुर, जो गया में थे, को सूचित किया। घटना के समय उसका पति ग्राम से दूर था। फिर उनके पहुंचने पर वह उनके साथ पुलिस थाना गयी और लिखा हुआ रिपोर्ट प्रस्तुत की। आरोपी के खिलाफ थाना संख्या 325/2011 में प्राथमिकी दर्ज कराई की गई।मखदूमपुर थाना के थाना प्रभारी द्वारा जांच की गई। उसने संबंधित गवाहों के कथन दर्ज किए। अभियोक्त्री के कपड़े/परिधान को जब्त किया गया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाल भेज दिया गया। उसने डॉ. रेणु सिंह, पी.डब्लू 7, जिन्होंने पीडित की जाँच की थी, से चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त किया। उसके बाद जाँच समाप्त होने के बाद, जाँच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 376 (1) और 450 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला सत्र अदालत द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने मामला को सत्र अदालत को सौंप दिया, जिसे विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जहानाबाद के अदालत में

स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे 2011/90/2012 के सत्र विचारण संख्या 456 के रूप में अंकित किया गया।आरोपी ने अपराधी नहीं होने का अभिवचन किया और इसलिए उसका उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वत सत्र अदालत द्वारा विचारण किया गया।

2.1 आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री (पी डब्लू 5) और डॉ. रेणु सिंह-चिकित्सा पदाधिकारी (पी डब्लू 7) सहित सभी आठ गवाहों की जांच की।आठ गवाहों में से, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 ने अभियोजन पक्ष पक्ष के मामला का समर्थन नहीं किया और इसलिए उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया.अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को भी अभिलेख पर लाया।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के अंतर्गत आरोपी का आगे का कथन दर्ज किया गया।आरोपी का मामला पूरी तरह से इनकार का था।फिर अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर विद्वत विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 376 (1) और 450 अंतर्गत अपराधों के लिए अपराधी ठहराया। विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 376 और 450 के तहत् अपराधों के लिए क्रमशः 10 वर्ष और 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

2.2 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा सजा पारित किए गये निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट अनुभूति करते हुए आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपील को ख़ारिज कर दिया है। अतः, आरोपी ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. मूल अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है कि मामला के तथ्य और परिस्थितियों में दोनों न्यायालयों ने भा.दं.सं. की धारा 376 और 450 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में तथ्यों के मद्देनजर गलती की है।

3.1 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालतों ने इस तथ्य की उचित तरीके से सराहना नहीं की है कि इस प्रकार चिकित्सा रिपोर्ट अभियोक्त्री/अभियोजन के मामला का समर्थन नहीं करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री का साक्ष्य चिकित्सा प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है क्योंकि अभियोक्त्री

के कपड़ों पर वीर्य या रक्त के निशान नहीं मिले थे.इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।

3.2 मूल आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस के समक्ष मामला दर्ज करने/रिपोर्ट करने में विलंब हुआ।

3.3 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचले दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य की उचित से सराहना नहीं की है कि भूमि विवाद के संबंध में आरोपी और अभियोक्त्री के परिवार के बीच पारिवारिक शत्रुता थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोग पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह की जांच की नहीं की गई है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्योंकि आरोपी और अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों की बीच विवाद था स्वतंत्र साक्ष्य गवाहों की जांच न करने के कारण अभियोजन का मामला गंभीर संदेह से ग्रस्त है।

3.4 यह आगे श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी की ओर प्रति उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सक और चिकित्सा प्रतिवेदन/जख्म प्रतिवेदन के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर और विशेष रूप प्रति निजी अंगों पर कोई चोट नहीं मिली।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, किसी चोट की अनुपस्थिति में में, अभियोक्त्री/अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कहानी विश्वसनीय नहीं है।

3.5 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री की गवाही/साक्ष्य के सिवाय, जिसकी पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है, आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र और ठोस प्रमाण नहीं है।

3.6 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सक ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बलात्कार का कोई भौतिक या चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है।

3.7 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी में ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफएसएल रिपोर्ट/अभियोक्त्री के पेटीकोट पर कथित रूप से मिला रक्त और वीर्य का सीरोलॉजिकल रिपोर्ट भी अनिर्णायक था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कथित रूप से

अभियोक्त्री के पेटीकोट पर पाया गया रक्त और वीर्य की सीरोलॉजिकल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करती है।

3.8 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी में ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री की गवाही में भी तात्विक विरोधाभास हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री ने विचारण के दौरान गवाही दी है कि उसने पुलिस के समक्ष एक मौखिक कथन दिया था, जबकि प्राथमिकी लिखा हुआ रिपोर्ट पर दर्ज उत्पादन है और पत्रकार की न तो परीक्षण की उत्पादन है और न ही परीक्षण की अफ़सर के समक्ष पेश किया गया है।

3.9 मूल आरोपी की ओर से उपस्थित आवास विद्वत अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/लिखित प्रतिवेदन दर्ज करने के संबंध में भी तात्विक विरोधाभास है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री के अनुसार वह 10 बजे थाना गई थी और पुलिस 10 बजे पूछताछ की थी.हालाँकि प्राथमिकी 4 बजे शाम में दर्ज कराई गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतः ऐसाी प्रतीत होता है कि पूर्व में दिए गए कथन को छुपा लिया गया है और इसलिए प्राथमिकी दं.प्र.सं. की धारा 162 द्वारा प्रभावित होता है।

3.10 श्री संतोष कुमार, मूल आरोपी में ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि अभियोक्त्री द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत में गई कहानी कि उसने आरोपी को गिरती हुई चारदीवारी को पार करते हुए देखा था और जब उसने चिल्लाया, आरोपी ने उसके मुंह में तौलिया डाल दिया और उसने मोबाइल की रोशनी में उसे पहचान लिया, वह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री के अनुसार वह दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सो रही थी.इसलिए, वह किसी भी व्यक्ति को कमरे के बाहर कोई कार्य करते हुए नहीं देख पाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो मोबाइल का नंबर और न ही मोबाइल को जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

3.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब दोषसिद्धि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर आधारित है और चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन/अभियोक्त्री के मामले का समर्थन नहीं करता है और अभियोक्त्री का गवाही तात्विक विरोधाभासों से भरा है और यह कि आरोपी और अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों के बीच पहले से ही विवाद था और किसी स्वतंत्रता गवाह की जांच की नहीं की गई है, तो केवल अभियोक्त्री की ऐसी गवाही पर आरोपी को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तुति के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एससीसी 133 और साथ ही राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2012) 8 एससीसी 21 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर काफी भरोसा किया है।

3.12 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए और मुकेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2014) 10 एससीसी 327 साथ ही रवींद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2015) 4 एससीसी 491 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को स्वीकार करने की, उच्च न्यायालय और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द और अपास्त करने की और अपराधों के लिए आरोपी को दोषमुक्त करने की अपील की प्रार्थना की गयी है जिनके लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा उसका विचारयण किया गया और उसे दोषसिद्ध किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया।

4. वर्तमान अपील का बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री केशव मोहन द्वारा जोरदार विरोध किया गया है।

4.1 प्रत्यर्थी-राज्य में ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोक्त्री ने प्रतिवादी के मामले का पूरा समर्थन किया है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य (1998) 8 एससीसी 635 साथ ही पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य (1996) 2 एससीसी 384 के मामलों में इस न्यायालय द्वारा देखा गया कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए न्यायालों को इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि इच्छा कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानी महिला केवल अपनी इज़्ज़त के खिलाफ अपमानजनक कथन देने के लिए अदालत में आगे नहीं आएगी, जैसा कि उस पर बलात्कार के मामले में शामिल है।

4.2 राजू और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में इस अदालत के फ़ैसला पर निर्भर करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस अदालत द्वारा मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर आमतौर पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और विश्वास किया जाना चाहिए और यदि साक्ष्य भरोसेमंद है, तो कोई संपुष्टि ज़रूरी नहीं है।

4.3 प्रत्यर्थी-राज्य में ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा वर्तमान मामला में भी अभियोक्त्री का पेटिकोट एफएसएल को भेजा गया था और पेटिकोट में रक्त के साथ वीर्य के धब्बे भी थे.यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़ित/अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया था और यह आरोपी की संलिप्तता का भी खुलासा करती है।

4.4 राजेन्द्र प्रह्लाद राव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरशोर से प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि एफएसएल रिपोर्ट निर्णयक नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि अपरिहार्य निष्कर्ष केवल यह है कि आरोपी अपराधी नहीं है।

4.5 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल शुक्राणुओं की अनुपस्थिति अभियोक्त्री की गवाही के विश्वास को नहीं हटा सकती है, क्योंकि महिला चिकित्सक द्वारा घटना की तारीख से लगभग 36 घंटे के बाद उसकी जांच की गई थी.

4.6 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि महिला चिकित्सक, पी डब्लू 7 ने भी यह राय व्यक्त की है कि बलात्कार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय यथा अभिनिर्धारित ने बी. सी. देवा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 122 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाया गया, फिर भी अभियोक्त्री पर भरोसा किया जा सकता है।

4.7 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोक्त्री पूर्ण रुप से समझदार वयस्क महिला है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि चिकित्सा परीक्षण के दौरान डॉक्टर को अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली, उसके कथन को खारिज नहीं किया जा सकता है.इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामला के तथ्यों और परिस्थितियों में, भा.दं.सं. में धारा 376 और 450 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में दोनों निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है.

4.8 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए और इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज देने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

5.1 हमने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय और विज्ञान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों पर विस्तार से विचार किया है। हमने अभिलेख पर लाए गए दोनों साक्ष्यों, मौखिक और दस्तावेजी, पर भी विस्तार से विचार किया है।

5.2 निचले दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को केवल अभियोक्त्री (पीडब्लू 5) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए दोषसिद्ध किया गया है।न तो कोई स्वतंत्र गवाह और न ही चिकित्सीीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं।पी डब्लू १ की गवाही से, यह अभिलेख पर आया है कि दोनों पक्षों के बीच एक भूमि विवाद चल रहा था.यहां तक परीक्षण में पी डब्लू 5-अभियोक्त्री ने भी स्वीकार किया था कि उसकी संतोष (आरोपी) के साथ शत्रुता थी।डॉ. रेणु सिंह-चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अभियोक्त्री की चिकित्सीय जाँच के लिए बुलाया गया था तथा डॉ. रेणु सिंह पी डब्लू 7 ने चोट प्रतिवेदन सौंपा था।चोट की रिपोर्ट में कोई शुक्राणु साथ ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी नहीं मिला ।डॉ. रेणु सिंह, पीडब्लू 7 चिकित्सा पदाधिकारी ने अपनी गवाही में विशेष रूप से विचार किया है और कहा है कि उन्हें पीड़िता के शरीर पर कोई हिंसा के निशान नहीं मिले हैं।उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बलात्कार का कोई शारीरिक या चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है।यह सच है कि बाद में उसने कहा है कि बलात्कार में संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता (मुख्य परीक्षा में ऐसा कहा गया है)।हालाँकि प्रति परीक्षण में, उसने कहा गया है कि बलात्कार का कोई शारीरिक या चिकित्सीय नहीं था।

5.3 एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, पेटिकोट पर रक्त समूह और पेटिकोट पर वीर्य को अनिर्णायक कहा गया है। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध अभियोक्त्री की गवाही ही एकमात्र साक्ष्य होगी।यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि केवल अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है. हालाँकि साक्ष्य अवश्य भरोसेमंद और विश्वास करने लायक होना चाहिए।इसलिए अब हम अभियोक्त्री के साक्ष्य की जांच करें हैं और विचार करें कि क्या मामला के तथ्य और परिस्थितियों में केवल अभियोक्त्री के निक्षेप के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करना सुरक्षित है, विशेष रूप से से तब जब न तो चिकित्सीय प्रतिवेदन/साक्ष्य और न ही अन्य गवाह समर्थन करते हैं और यह

अभिलेख पर आया है कि दोनों पक्षों के बीच शत्रुता थी।5.4 अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विचार करने से पहले, राजू (उपर्युक्त) और राय @दीपू के मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, जिन पर अपीलकर्ता-अभियुक्त की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया, को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

5.4.1 राजू (पूर्वोक्त) के मामला में इस न्यायायल द्वारा पैराग्राफ 11 और 12 में निम्नलिखित रूप में यह व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "11. यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बलात्कार पीड़ित को सबसे अधिक तनाव और अपमान पहुंचाता है, लेकिन साथ ही बलात्कार का झूठा आरोप अभियुक्त को भी समान तनाव, अपमान और हानि पहुँचा सकता है। आरोपी को भी झूठे निहितार्थ की संभावना से अवश्य संरक्षित रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां बड़ी संख्या में आरोपी शामिल हैं।आगे, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि घटना के समय कोई घायल गवाह उपस्थित था और आमतौर पर ऐसा गवाह वास्तविक हमलावरों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन यह मानने का कोई अनुमान या कोई आधार नहीं है कि ऐसे गवाह का कथन हमेशा सही या किसी अलंकरण या अतिशयोक्ति के बिना होता है।
>
> 12. गुरमीत सिंह में मामला [(1996) 2 एस. सी. सी. 384:के मामले को 1983 में बलात्कार से संबंधित दंड प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए भा.दं.सं. की धारा 375 और 376 और बलात्कार के मामले में सहमति से यौन संबंध के आरोप के संबंध में उठाये जाने वाले अनुमान के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-क में किए गए संशोधनों के लिए संदर्भित किया गया है।हालाँकि यह महत्वपूर्ण है कि धारा 113-क और 113-ख को भी उसी संशोधन द्वारा साक्ष्य अधिनियम में अंतर्निहित किया गया था जिसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध आत्महत्या और दहेज हत्या के दुष्प्रेरण के मामलों में कुछ उपधारणाएं उठाई गई हैं।इस प्रकार, ये दोनों धारायें अभियोजन के पक्ष में एक स्पष्ट उपधारणा उठाती है, लेकिन बलात्कार के संबंध में इस तरह की कोई

उपधारणा नहीं दर्शायी जाती है क्योंकि खंड 114-क के अंतर्गत उपधारणा को लागू करना काफी हद तक प्रतिबंधित है।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जहां तक बलात्कार के आरोप का संबंध है, अभियोक्त्री के साक्ष्य की जांच की एक घायल गवाह के रूप में अवश्य की जानी चाहिए जिसकी मौके पर उपस्थिति संभावित है, लेकिन यह कभी नहीं माना जा सकता है कि उसके कथन को, अपवाद के बिना, वेदवाक्य के रूप में लिया जाना चाहिए।इसके अतिरिक्त, उसके कथन का निर्णय इस सिद्धांत पर किया जा सकता है कि आमतौर पर कोई भी घायल गवाह झूठ नहीं बोलेगा या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नहीं फंसाएगा।हमारा मानना है कि इन सिद्धांतों के अंतर्गत इस मामले की और इस तरह के अन्य मामलों की जांच करने की आवश्यकता है।"

5.4.2 राय संदीप उर्फ दीपू (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय को यह विचार करने का आवश्यकता है कि किसे एक सच्चा गवाह कहा जा सकता है। पैराग्राफ 22 में यह निम्नलिखित रूप में देखा और अभिनिर्धारित किया जाता हैः

"22. हमारी सुविचारित राय में "उत्कृष्ट साक्षी" को बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जिसका कथन इसलिए, चुनौती के योग्य नहीं होना चाहिए।ऐसे गवाह के कथन पर विचार करते हुए अदालत को इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसके विश्वसनीय मूल्य के लिए स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति सारहीन होगी और ऐसे गवाह द्वारा दिए गए कथन की सत्यता ही उपयुक्त होगी। अधिक सही यह होगा कि प्रारंभ से अंत तक, अर्थात् उस समय जब गवाह प्रारंभिक कथन करता है और अंत में अदालत के समक्ष, कथन की सुसंगतता हो। यह प्राकृतिक और आरोपी के अभियोजन पक्ष के मामलें के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन में कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी हद तक प्रति परीक्षण का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, उसमें शामिल व्यक्तियों साथ ही इसके अनुक्रम के बारे में

किसी भी संदेह के लिए स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।इस तरह के कथन का अन्य सहायक सामग्री के प्रत्येक के साथ सह-संबंध होना चाहिए जैसे कि बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय/कथित कथन को लगातार प्रत्येक अन्य गवाह के कथन से सही रुप से मेल खाना चाहिए।यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू परीक्षण के समान होना चाहिए जहां आरोपी को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का अपराधी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई संपर्क नहीं टूटना चाहिए।केवल तभी जब इस तरह के गवाह का कथन उपरोक्त परीक्षण और इस तरह के अन्य समान परीक्षण के लिए योग्य होता है। इस समान के अन्य परीक्षण लागू किए जा सकते हैं, क्या यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को एक उत्कृष्ट गवाह के रुप में बुलाया जा सकता है, जिसका कथन अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर अपराधी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो, अपराध के मुख्य बिन्दु पर कथित गवाह का कथन अखंड रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी प्रस्तुत सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तओं को सामग्री विवरणों में कथित कथन से मेल खाना चाहिए, ताकि अपराध का विचारण करने वाले अदालत को अपराधी को दोषसिद्ध करने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मुख्य कथन पर भरोसा करना करने में सक्षम बनाया जा सके।"

5.4.3 कृष्ण कुमार मलिक मामला हरियाणा राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 130 में, इस अदालत द्वारा यह व्यक्त है और अभिनिर्धारित किया गया है कि निस्संदेह रुप से यह सच है कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी आरोपी को अपराधी ठहराने के लिए, अभियोक्त्री का साक्ष्य सिर्फ पर्याप्त है बशर्ते कि वह विश्वास को प्रेरित करता है और पूर्ण रूप से भरोसेमंद एवं निर्दोष प्रतीत होता है और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए।

5.5 पूर्वोक्त विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए, इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या केवल अभियोक्त्री के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करना सुरक्षित है?क्या अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है और निस्संदेह रूप से भरोसेमंद, निर्दोष और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत होता है?

6. अभियोक्त्री के निक्षेप को देखने और उस द्वारा विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि सामग्री विरोधाभास हैं।न केवल सामग्री विरोधाभास हैं, बल्कि जिस तरह अभियोक्त्री के कथन के अनुसार कथित घटना घटित हुई है, विश्वसनीय नहीं है.मुख्य परीक्षा में अभियोक्त्री ने कहा गया है कि गिरने अहाते की गिरने वाली दीवार फांदने के बाद आरोपी अंदर आया और फिर आरोपी ने बलात्कार किया।उसने कहा गया है कि उसने मोबाइल की रोशनी से आरोपी की पहचान की।हालाँकि कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ है।यहां तक कि ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं है कि अहाते की कोई टूटी हुई दीवार थी। उसने आगे कहा है कि सुबह 10 बजे वह थाना गई और मौखिक शिकायत दी। हालाँकि जांच अधिकारी के अनुसार एक लिखी हुई शिकायत दी गई थी।यह भी ध्यान देने आवश्यक है कि प्राथमिकी भी 4:00 बजे दर्ज की जाती है। अभियोक्त्री ने अपने निक्षेप में शांति देवी, पीडब्ल्यू1 और अन्य का नाम उल्लेख किया है।हालाँकि शांति देवी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।इसलिए जब हमने पीडब्लू 5-अभियोक्त्री के कथन का परीक्षण किया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कथित गवाह 'उत्कृष्ट गवाह' के किसी भी परीक्षण को उत्तीर्ण करने में विफल रहा है।शिकायत देने के बारे में उसके कथन में भिन्नता है। प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब है, चिकित्सा रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामलें का समर्थन नहीं करती है। एफएसएल रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के मामलें का समर्थन नहीं करती है।जैसा कि स्वीकार किया गया है, भूमि के संबंध में दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी/विवाद था।जिस तरह में यह कहा गया गया है कि घटना हुई है वह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए मामलों के तथ्य और परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि सिर्फ अभियोक्त्री-पी डब्लू ५ के कथन मुख्य मूल्य पर एक वेदवाक्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है और किसी अन्य सहायक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को कायम रखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और आरोपी को संदेह का फ़ायदा दिया जाता है.

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से अपील की अनुमति दी जाती है।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दोषसिद्ध के निर्णय और

आदेश को एतद् द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है और यदि किसी अन्य मामला में आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा करें।

(अशोक भूषण, न्यायमूर्ति)

[एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति]

नया दिल्ली

14 फरवरी, 2020

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।